अनुसूची 14 फारम संख्या 562

न्यायलय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर- सरिया, गिरिडीह

आदेश पत्रक

संतोष यादव .... प्रथम पक्ष

बनाम

पक्ष

निर्मल मंडल .... द्वितीय पक्ष

देखे अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक ता० .... से .... तक

जिला गिरिडीह।

विविध वाद संख्या ....04/22.... सन् 2021

धारा 144 द०प्र०स०

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	आवेदक संतोष यादव पिता -मंगत यादव उम्र लगभग 30 वर्ष, साकिन ग्राम- मंदरामो टोला खेराबाद, थाना-सरिया जिला गिरिडीह द्वारा द० प्र० स० कि धारा 144 के अन्तर्गत विवादित भूमि मौजा - मंदरामो थाना सरिया के अन्तर्गत खाता स0-73, प्लाट स0- 2350 रकबा -3·20 एकड़मध्ये रकबा 64 डी· चौहद्दी - उ0-बाबूचंद यादव वगैरह द0- परमेश्वर मोदी पू0- विशुन महतो वगैरह प0 टेकनारायण यादव में, भू- विवाद के कारण निषेधाज्ञा लागू करने हेतु आवेदन दिया गया है। प्राप्त आवेदन पर जाँच/ मंतव्य अंचल अधिकारी सरिया / थाना प्रभारी से मांगे। अभिलेख दिनांक 20/01/22 को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित ह० 03/01/22 अनु० दण्डा० बगोदर - सरिया ह० 03/01/22 अनु० दण्डा० बगोदर - सरिया	

अनुसूची 14 फारम संख्या 562

न्यायलय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर- सरिया, गिरिडीह

आदेश पत्रक संतोष यादव वगैरह ....प्रथम पक्ष

बनाम

पक्ष निर्मल मंडल वगैरह ...द्वितीय पक्ष

देखे अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक ता० ....से ....तक

जिला गिरिडीह।

विविध वाद संख्या ....सन् 2021

धारा द0प्र0स0

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे गें टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	अभिलेख उपस्थापित। थाना प्रभारी/~~अंचल अधिकारी~~ ~~21/22~~ सरिया के पत्रांक 21/22, दिनांक 04.01.22 के द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन के अवलोकन के बाद संतुष्ट हूँ कि भुमि विवाद को लेकर उभय पक्षों में शांति भंग होनें की आशंका है एवं उभय पक्ष टकराव के लिए तत्पर हैं। जिसके कारण उस क्षेत्र में शांति भंग, खुन–खराबा तथा उपद्रव हो सकता है जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामलें में टकराव को दुर करने तथा इलाके में शांति बनाये रखने के लिए निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक है। इन तथ्यों के आलोक में उभय पक्षों के विरुद्ध धारा 144 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ किया जाता है तथा उभय पक्षों को 60 दिनों के लिए विवादग्रस्त भुमि पर या उसके नजदीक जाने अथवा किसी भी तरह का कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है तथा रोका जाता है साथ ही उभय पक्षों से दिनांक 20/01/22 को कारण–पृच्छा की मॉग की जाती है कि क्यों नही एक या दोनों पक्षों के विरुद्ध निराधात्कम आदेश को सम्पुष्ट किया जाय। लेखापित एवं संशोधित। अनुमंडल दण्डाधिकारी। बगोदर–सरिया । अनुमंडल दण्डाधिकारी। बगोदर–सरिया ।	21/22 04.01.22

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
20/01/22	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित	
03/02/22	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। to 17/02/22	
17/02/22	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। to 24/02/22	
24/2/22	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित द्वितीय पक्ष अनुपस्थित to 03/03/22	
03/03/22	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित प्रथम पक्ष द्वारा वाद को वापस लेने का अनुरोध पत्र दाखिल किया गया है, जिसे स्वीकार करते हुये वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है।	

Digitally signed by SANTOSH GUPTA
Date: 2025.06.09 12:28:13 +05:30
Location: 192.168.1.9